

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :-ई-18/एम/परिवीक्षा जोन भरतपुर/00694/2024/166 दिनांक : 13-02-24

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री अजय कुमार चॉवरिया, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाई माधोपुर की प्रथम नियुक्ति तिथि 21.06.2021 है, तथा जिनकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 20.06.2023 को पूर्ण हो गई है, का दिनांक 21.06.2023 से रु. 20800 (लेवल-5) में उनका वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है, इनके द्वारा आरएससीआईटी परीक्षा दिनांक 24.07.2014 एवं टंकण परीक्षा दिनांक 02.08.2023 को उत्तीर्ण करली गई है।

उक्त कार्मिक को वार्षिक वेतन वृद्धि का नगद लाभ टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि 02.08.2023 से देय होगी।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :-ई-18/एम/परिवीक्षा जोन भरतपुर/00694/2024/166 दिनांक : 13-02-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. श्री अजय कुमार चॉवरिया, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5461920

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.
Digitally Signed by Suresh
Kumar Nawal
Designation: Director
Date :09-02-2024 10:35:05